न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 266/2016

बउनवान

रामदयाल धाकड आयु 57 साल पुत्र श्री नंदलाल जाति–धाकड
निवासी–रूपपुरा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील **धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 02.04.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रूपपुरा, तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर मकान बनाने का अतिक्रमी मानकर 256/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर अपीलांट के विरूद्व बिना सुने व बिना साक्ष्य लिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट का उक्त आराजियात पर कोई कब्जा नहीं है तथा ना हीं तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण व मकान नहीं है। अतिक्रमण अन्य भूमि पर था जिसे हल्का पटवारी के कहे अनुसार पूर्व से कब्जा छोड रखा है। जिस दिन हल्का पटवारी ने रिपोर्ट की है, मौका नहीं देखा गया है, मौके पर भूमि खाली पडी

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हुई थी जो वर्तमान में भी खाली है। साथ हीं निवेदन किया कि वह उक्त आराजी पर भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखली व सजायाब करने के आदेश पारित किये गये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत हल्का पटवारी के बयान, पूर्व बेदखलीनामा संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर मकान बनाने का दोषी व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2071 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा प्रकरण में तहसीलदार, अन्ता से विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जिससे पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान पर मौके पर खाली पडी हुई है तथा अपीलांट का बहस के दौरान कथन रहा है कि वह भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 346/15 में पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा निर्णय दिनांक 15.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.2.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official